


उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग- 5
संख्या-3088/नौ-5-2017-230सा/16
लखनऊ :: दिनांक 25 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्रियान्विता स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत इलाहाबाद का चयन हो चुका है। इसके साथ ही इलाहाबाद स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से धनावंटन हेतु अर्ह हो गया है। तदनुसार नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद के पत्र संख्या-502/एस0टी0सी0ई0/17 दिनांक 19.07.2017 द्वारा किए गए प्रस्ताव व कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1205/नौ-5-2016-116सा/16 दिनांक 16 अप्रैल, 2016 के क्रम में एतद्वारा इलाहाबाद स्मार्ट सिटी में स्पेशल पर्पज वेहिकल (SPV) के निम्नानुसार गठन किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- स्पेशल पर्पज वेहिकल (एस.पी.वी.) का इनकार्पोरेशन इलाहाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के रूप में किया जाता है, जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलाहाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में निहित परियोजनाओं की डी.पी.आर. स्वीकृत करने, धनराशि अवमुक्त करने, परियोजनाओं के क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत होगी।
- 2- इलाहाबाद एस.पी.वी. कंपनीज एक्ट-2013 के अंतर्गत एक लिमिटेड कंपनी होगी जिसमें राज्य सरकार एवं इलाहाबाद नगर निगम प्रमोटर्स होंगे जिनकी 50 : 50 इक्विटी शेयर होल्डिंग होगी।
- 3- पृथक कार्यालय स्थापित होने तक एस.पी.वी. इलाहाबाद स्मार्ट सिटी लिमि. का पंजीकृत पता निम्नवत् होगा:-
"1 सरोजिनी नाथडू मार्ग, नगर निगम इलाहाबाद-221001"
- 4- एस.पी.वी. का प्रारम्भिक Authorized capital & paid up capital क्रमशः रु. 50 लाख होगा जो स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर बढ़कर रु. 394 करोड़ (रु. 194+200 करोड़) हो जायेगा।
- 5- एस.पी.वी. के इनकार्पोरेशन के आवेदन हेतु प्रारम्भिक वरण में निम्नलिखित तीन निदेशक होंगे:-
 - i. आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
 - ii. स्मार्ट सिटी मिशन निदेशक/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र. द्वारा नामित प्रतिनिधि
 - iii. नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
- 6- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1205/नौ-5-2016-116सा/16 दिनांक 16 अप्रैल, 2016 के क्रम में अन्य निदेशक निम्नवत् होंगे, जिन्हें बोर्ड की प्रथम बैठक में सम्मिलित किया जायेगा-
 - 1- उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
 - 2- मुख्य अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इलाहाबाद।
 - 3- मुख्य अभियंता, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद।

- 4- सहयुक्त निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
- 5- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ/इलाहाबाद अथवा उनके प्रतिनिधि।
- 7- अन्य दो **Independent Directors** कम्पनी अधिनियम 2013 में विहित प्राविधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जायेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में परियोजना की प्रकृति के अनुसार राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग/स्टेक होल्डर्स के प्रतिनिधि भी एस.पी.वी. में निदेशक के रूप में निर्धारित अवधि के लिए एस.पी.वी. बोर्ड के निदेशक मण्डल द्वारा नामित किए जा सकेंगे।
- 8- एस.पी.वी. का **Memorandum and Articles of Association** भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के पत्र संख्या K-15016/61/2015-SC-1 दिनांक 28.01.2016 के अनुसार होगा। एस.पी.वी का **Memorandum and Articles of Association** का अनुमोदन विधिक परामर्श के बाद राज्य सरकार का नगर विकास विभाग करेगा।
- 9- एस.पी.वी. का पृथक बैंक खाता खोला जायेगा।
- 10- एस.पी.वी. का पृथक कार्यालय किराये के भवन में खोला जायेगा। इस हेतु उपलब्धता के आधार पर सरकारी भवनो को वरीयता दी जायेगी। भवन के किराये का भुगतान स्मार्ट सिटी A&OE मद से किया जायेगा।
- 11- स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन (विशेषज्ञो एवं कार्मिको) की नियुक्ति निम्नवत् की जायेगी:-
 - i. राज्य सरकार, प्राधिकरण, नगरीय निकायो से प्रतिनियुक्ति के आधार पर।
 - ii. एस.पी.वी. की आवश्यकतानुसार बाजार से **outsourcing** के माध्यम से।
 - iii. भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के एच.आर. इम्पैनेल्ड एजेंसी के माध्यम से।
 - iv. एस.पी.वी. बोर्ड के अनुमोदन द्वारा अन्य स्रोतो से।
- 12- स्मार्ट सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एस.पी.वी. का प्रारम्भिक **Verticals of SPV** का गठन निम्नवत् होगा:-



- i. नगर निगम इलाहाबाद के नगर आयुक्त एस.पी.वी. के CEO होंगे।
- ii. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद दिन प्रतिदिन के कार्यों हेतु एस.पी.वी. के **Additional CEO** होंगे।
- iii. एस.पी.वी. की प्रथम बोर्ड बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा **Auditors** एवं **Company Secretary** की नियुक्ति की जायेगी।
- iv. मुख्य लेखाधिकारी, सिटी अर्बन प्लानर, मुख्य अभियंता तथा आई.टी. आफिसर की नियुक्ति इस कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-11 के अनुसार किया जायेगा।

- 13- इलाहाबाद नगर निगम एस.पी.वी. के इनकार्पोरेशन का कार्य या तो स्वयं करेगा अथवा विशेषज्ञ एजेंसी के माध्यम से करेगा। इसका जो भी व्यय होगा वह स्मार्ट सिटी मिशन के AE&O मद से किया जायेगा।
- 14- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के डिजायनिंग, विकास, प्रवर्धन एवं क्रियान्वयन हेतु इलाहाबाद नगर निगम द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के वयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी तथा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का वयन एस.पी.वी. के गठन के पश्चात् एस.पी.वी. द्वारा भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

Manoj
(मनोज कुमार सिंह)
25.8.17
✓ प्रमुख सचिव।

संख्या-3088(1)/नौ-5-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी/निजी सचिव, मा. मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
- 2- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/वित्त/नियोजन/परिवहन/आवास एवं शहरी नियोजन/ऊर्जा/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 5- मिशन निदेशक (स्मार्ट सिटी), भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 6- स्टेट मिशन डायरेक्टर (स्मार्ट सिटी)/निदेशक, नगर निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
- 7- निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ।
- 8- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
- 9- जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
- 10- उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
- 11- मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद।
- 12- मा0 महौपौर/नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद।
- 13- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 14- निदेशक, सी. एंड डी.एस. उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- 15- मुख्य अभियंता, सम्बन्धित विद्युत वितरण मण्डल।
- 16- मुख्य अभियंता, उ.प्र. जल निगम, इलाहाबाद।
- 17- सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, इलाहाबाद।
- 18- निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र, लखनऊ।
- 19- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।